आईएएण्डएएस अधिकारियों के लिए स्थानान्तरण एवम् प्रतिनियुक्ति नीति फ्रेमवर्क

1. **सामान्य नियम**

1.1 सभी स्तरों पर सभी आईएएण्डएएस अधिकारियों को प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार अल्पकालीन सूचना पर भारत एण्ड विदेश में कहीं भी स्थानान्तरित एंव तैनात किया जा सकता है।

1.2 नियमितता एण्ड निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए सामान्य तौर पर प्रत्येक अधिकारी का न्यूनतम 2 वर्ष का कार्यकाल होगा।

1.3 अधिकारी तैनाती के लिए अपनी वरीयताएं दे सकते हैं। जहॉ प्रत्येक अधिकारी की वरीयता पर उचित विचार किया जाएगा, वहीं स्थानान्तरण प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार किये जाएगें।

1.4 एक स्थान पर पति-पत्नी की तैनाती के संबंध में डीओपीएण्डटी के वर्तमान दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा।

2. एसएजी में पदोन्नति पर (वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड)

2.1 पीडी/एजी के स्तर पर पदोन्नति पर, प्रत्येक आईएएण्डएएस अधिकारी को उस स्थान पर पूरे किये गए वर्षों पर ध्यान दिये बिना उस स्थान से अलग स्थान पर स्थानान्तरित किया जाएगा।

3. पूर्वोत्तर क्षेत्र, जेएण्डके इत्यादि में तैनाती

3.1 जेएण्डके, अण्डमान एण्ड निकोबार द्वीप समूह तथा सिक्किम, असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के किसी स्थान पर तैनाती न्यूनतम दो वर्षों के लिए होगी।

3.2 इन दुर्गम स्थानों पर दो वर्ष पूर्ण होने पर, अधिकारी को उसकी पसन्द का स्थान दिया जाएगा जो पद की उपलब्धता के अध्यधीन होगा।

4. विदेशों में तैनाती/कार्य

4.1 विदेश में तैनाती से वापसी पर, सामान्यतः तैनाती गृह नगर अथवा तैनाती के पिछले स्थान तथा मुख्यालय से अलग स्थान पर की जानी चाहिए।

5. प्रतिनियुक्ति नीति

5.1 कोई सीधा भर्ती आईएएण्डएएस अधिकारी केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर नहीं भेजा जानी चाहिए जब तक उसने नियुक्ति से सेवा के 9 (नौ) वर्ष पूरे न किये हो।

5.2 पदोन्नत अधिकारी तथा एलसीई (सीमित प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा) अधिकारियों की केन्द्रीय तथा राज्य प्रतिनियुक्ति पर सेवा के तीन वर्ष पूरे करने के पश्चात ही विचार किया जाएगा।

6. प्रशासनिक आधारों तथा कार्य की अत्यावश्यकता पर स्थानान्तरण के मामलों पर ये दिशानिर्देश लागू नहीं होगें।

सहायक नियंत्रक -
महालेखापरीक्षक (कार्मिक)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय
पाकेट-9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110124

सं. 124-जीई-1/184-2013 **8 जनवरी 2014**

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

संघ तथा राज्य स्तरों पर सिविल सेवा बोर्ड (सीएसबीज) की स्थापना तथा जन सेवकों इत्यादि के सेवाकाल के निर्धारण पर सर्वोच्य न्यायालय के निर्णय दिनॉक 31.10.2013 के अनुपालन में भारत के नियंत्रक -महालेखापरीक्षक ने दो केन्द्रीय सेवा बोर्डों का गठन किया है। (केन्द्रीय सेवा बोर्ड-1 एसएजी तथा इसके उपर के स्तर के अधिकारियों के स्थानान्तरण तथा तैनाती से संबंधित होगा। केन्द्रीय सेवा बोर्ड-2 एसएजी स्तर से नीचे के आईएएण्डएएस अधिकारियों के स्थानान्तरण तथा तैनाती से संबंधित होगा)

ये अनुदेश तुरन्त प्रभाव से लागू किये जाते हैं।

(सुधा राजन)
सहायक नियंत्रक-
महालेखापरीक्षक (कार्मिक)